28.1.26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। बाद
संघ ने कार्य बंद रखा प्रा.पत्र प्रार्थी
अस्वीकार किया जाता है विरुद्ध निर्णय-
अवार्ड से शामिल किया जावे प्रार्थी नवीन
प्रा.पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। नम्बर
से दर्ज हो

GCMS 2024/241

आदेश सुनाया जाकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 12:43:59 IST
Reason: SelfAttested

BV
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– भरत जयप्रकाश मीना (आई ए.एस.)

प्रकरण सं.– 108 / 2024 GCMS:-2024/241 दायरा दिनाकः– 07.05.2024

नेहरू पुत्र श्री हरफूल जाति कुम्हार साकिन चक 1 आर.जे.एम. तहसील सूरतगढ़ हाल निवासी कोडियांवाली तहसील व जिला फाजिल्का पंजाब।

–प्रार्थी

बनाम

1. महावीर प्रसाद पुत्र हरीराम जाति ब्राह्मण निवासी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. कुलविन्द्र कौर पत्नी श्री सुखराज सिंह जाति जटसिख साकिन सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।
3. रणजीतकौर पत्नी श्री रूपसिंह जाति तरखान साकिन सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।
4. सुखविन्द्रकौर पत्नी श्री जसवीर सिंह जाति जटसिख साकिन सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।
5. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।
6. प्रियाशु पुत्र सुरेश कुमार जाति ब्राह्मण साकिन वार्ड सं. 4/5 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
1. श्री विनोद बिश्नोई अधिवक्ता – प्रार्थी
2. श्री कमलदत्त शर्मा अधिवक्ता – अप्रार्थी नं. 1
3. श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ता – अप्रार्थी नं. 6
4. तहसीलदार पैराकार राज

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 29.01.26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से चक 1 आर.जे.एम. पटवार हल्का बख्तावरपुरा के पत्थर नं0 101/27 मुरब्बा न0 75 के किला न0 16 ता 25 में 2.530 हैक. कमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इस भूमि मे आने जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि के सबसे नजदीक स्वीकृत रास्ता इसी चक के पत्थर न0 101/26 के किला न0 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2 मे स्थित है। इस रास्ता से आगे पत्थर न0 101/27 (75) के किला न0 01 जो कि अप्रार्थी न0 01 के नाम दर्ज है तथा किला न0 10 व 11 जो कि अप्रार्थी न0 2 ता 4 के नाम से संयुक्त खाते में खातेदारी है। इससे आगे किला न0 20 प्रार्थी की खातेदारी है। इस प्रकार प्रार्थी को अपनी भूमि मे आने जाने के लिए किला न0 1,10 व 11 को पार करना पड़ता है। जिनमे मंजूरशुदा रास्ता न होने से प्रार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पडता है। इन किला न0 1, 10 व 11 मे से 2–2 बिस्वा पश्चिमी दिशा मे से उत्तर से दक्षिण रास्ता स्वीकृत हो जाने से प्रार्थी अपने खातेदारी रकबा मे आ जा सकते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 12:43:59 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज न 2.....पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

यही रास्ता प्रार्थी की भूमि के सबसे समीपस्थ है। इस रास्ते के बदले प्रार्थी कीमत व भूमि देने के लिए तैयार है चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थी को कोई अन्य रास्ता नही लगता है। इसलिए प्रार्थी ने अपने खातेदारी रकबा को काश्त करने के लिए पत्थर न0 101/27 (75) के किला न0 1, 10, 11 प्रत्येक मे 2–2 बिस्वा पश्चिमी दिशा मे उत्तर से दक्षिण रास्ता स्वीकृत किया जाने व राजस्व रिकॉर्ड मे यह रकबा गैर मुम. रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सूरतगढ से प्रार्थना पत्र के समबंध में जांच कर रिपोर्ट मंगवाई तथा भू. अभिलेख निरीक्षक वृत बख्तावरपुरा ने दिनांक 09.04.2024 को मौका रिपोर्ट तैयार कर इस न्यायालय को भिजवाने पर यह प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी न0 1 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के तथ्यो को इन्कार करते हुए अप्रार्थी न0 01 के नाम के किला न0 1 ता 5 के रकबा का श्रीमान् अपर जिला एवं सैंशन न्यायाधीश सूरतगढ के समक्ष प्रकरण जैरकार होने से व रकबा का स्थगन होने की वजह से तथा अप्रार्थी न0 1 की भूमि भूमि विकास बैंक मे रहन होने की वजह से यहां से रास्ता नही दिया जा सकता इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया तथा अप्रार्थी न0 2 ता 4 बावजूद सूचना जरिये पंजीकृत नोटिस भिजवाई जाने के बाद भी उपस्थित न होने से इनके खिलाफ दिनांक 25.10.2024 को एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण के विचारण के दौरान अप्रार्थी न0 6 ने प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 पेश कर निवेदन किया कि यह रकबा उसका जरिये इकरारनामा से खरीदकर कब्जा लिया हुआ है तथा माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सूरतगढ के समक्ष संविदा दिनांक 01.02.2013 की विनिर्दिष्ट अनुपालना शाश्वत अनुतोष हेतु मुकदमा न0 15/17 जैरकार है तथा इस मुकदमे के साथ प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता जैरकार थी जिसमे माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सूरतगढ ने इस रकबा के बाबत प्रार्थी के पक्ष मे स्थगन जारी किया हुआ है। इस पत्थर न0 101/27 के किला न0 1 मे प्रार्थी की रिहायशी ढाणी बनी हुई है। इसलिए प्रार्थी इस प्रकरण मे हितबद्ध पक्षकार है व अप्रार्थी बनने का निवेदन किया जिस पर दोनो पक्षो की बहस सुनकर दिनांक 17.03.2025 को अप्रार्थी न0 6 को पक्षकार मुकदमा बनाया जाकर उसका नाम लाल स्याही से अंकन किया गया।

अप्रार्थी न0 6 अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस प्रकरण मे मौका रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बख्तावरपुरा द्वारा अप्रार्थी को बिना सूचना दिये व बिना मौके पर जाये व अप्रार्थीगण की पीठ के पीछे तैयार की गई है। प्रार्थी द्वारा चाहे जा रहे रास्ता पत्थर नं0 101/27 के किला न0 1 मे अप्रार्थी न0 6 की पक्की रिहायशी ढाणी बनी हुई है तथा किला न0 11 मे प्रस्तावित रास्ते में जांडी का बडा पेड है। तथा अप्रार्थी के रकबा के बाबत् माननीय अपर जिला न्यायाधीश सूरतगढ का प्रकरण स0 31/17 बअनवान पीयूष बनाम महावीर प्रसाद वगैरा में भूमि के मूल वाद के निर्णय तक किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित नहीं करने व न ही ऐसा किसी भार का सृजन करने व न ही अप्रार्थी, प्रार्थी के उक्त भूमि के उपयोग व उपभोग में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नही करेगे, के बाबत् निर्णय दिनांक 06.12.2019 से स्थगन है तथा प्रार्थी को अपने रकबा मे आने व जाने के लिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Lal Prakash Meena
Date: 2026.01.29 12:43:59 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज न 3.....पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

पत्थर न0 101/28 के किला न0 1,10,11, 20, 21 मे से चालू रास्ता लगता है इसके अलावा पत्थर न0 101/19 के किला न0 5 के पूर्वी पासा से भी रास्ता लगता है, परन्तु प्रार्थी ने पत्थर न0 101/19 के किला न0 5 के काश्तकार व पत्थर न0 101/28 के काश्तकारो को जानबूझकर पक्षकार नही बनाया है। इसलिए जब अप्रार्थी के रकबे का स्थगन है तथा प्रार्थी द्वारा चाहे जा रहे रास्ता के सीध मे अप्रार्थी की पक्की रिहायशी ढाणी बनी हुई है इसलिए प्रार्थना–पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि चक 1 आर.जे.एम. के पत्थर न0 101/27 के किला न0 1,10 व 11 मे से रास्ता मंजूर करने का निवेदन किया। व अप्रार्थी न0 1 व 6 ने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैरप्रकरण प्रस्तावित रास्ता वाले किला न0 1 मे रिहायशी ढाणी व रकबा का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरतगढ से स्थगन है तथा मौका रिपोर्ट अप्रार्थीगण की पीठ के पीछे बिना किसी सूचना के तैयार की गई है। तथा प्रार्थी को पत्थर न0 101/28 से रास्ता लगता है, प्रार्थी ने इस रकबा का केवल एक ही मुरब्बे का नक्शा पेश किया है जो कि अधूरा नक्शा पेश किया है। प्रार्थी ने अपने वैकल्पिक रास्ते को छिपाया है। तथा पत्थर न0 101/19 के किला न0 5,6,15 व पत्थर नं0 101/28 के काश्तकारो को पक्षकर नही बनया है, इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे व कानूनी नजीद आर.आर.डी. 2017 पेज 515 व आर.आर.डी. 2022 पेज नं. 1096 प्रस्तुत की।

उभय पक्ष की बहस सुनकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने रकबा चक 1 आर.जे.एम. के पत्थर न0 101/18 के किला न0 16 ता 25 मे आने व जाने के लिए किला न0 1, 10 व 11 के पश्चिमी पासा मे 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकार करने का निवेदन किया है। अप्रार्थी न0 1 के नाम के किला न0 1 ता 5 के रकबा के बाबत माननीय अपर जिला न्यायाधीश सूरतगढ से इस रकबा के रहन, बेचान, व भार सृजित न करने के बाबत तथा उपयोग व उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करने का स्थगन जारी है तथा पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बख्तावरपुरा की मौका रिपोर्ट के अनुसार किला न0 1 मे अप्रार्थी की पक्की रिहायशी ढाणी बनी हुई है व किला न0 11 मे खेजडी का वृक्ष है। इसलिए इस स्थान से रास्ता दिया जाना कतई उचित नही है तथा प्रार्थी ने अन्य काश्तकारो के रकबा मे से रास्ता चाहने बाबत न तो प्रार्थना पत्र पेश किया व न ही अन्य काश्तकारो को पक्षकार बनाया है, व न तो चिपता मुरब्बो का नक्शा पेश किया व न ही चिपता मुरब्बा मे से रास्ता दिया जाने के बाबत भू–अभिलेख निरीक्षक की विधि सम्मत रिपोर्ट प्रस्तुत हुई इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र [illegible] आधारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो[illegible] सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में सु[illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 12:43:59 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जयप्रकाश मीना)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़(राज.)